बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग,
मुख्यालय अनुश्रवण

संचिका संख्याः— ल0सिं0मो0—जांच (JJHA)-178/2020 - 1628 (मो0) / पटना,दिनांकः— 26/8/2020

प्रेषक,

ई0 रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियंता,
मुख्यालय अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर।

विषयः— **माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के जल—जीवन—हरियाली यात्रा के दौरान दिनांक 04.01.2020 को जिला पदाधिकारी बेगूसराय द्वारा चयनित स्थल साहेबपुर कमाल प्रखंड के सादपुर पूर्वी पंचायत अवस्थित सादपुर मोईन योजना का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

प्रसंग— **आपका पत्रांक 687 दिनांक 19.08.2021**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि लघु सिंचाई प्रमंडल, बेगूसराय अन्तर्गत साहेबपुर कमाल प्रखण्ड के सादपुर पूर्वी पंचायत अवस्थित सादपुर मोईन योजना का कार्य कराया गया है। इस कार्य के लिए आपके द्वारा 57.77 लाख रूपये की आवंटन की अधियाचना की गयी है।

पत्र के साथ—साथ अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, मुंगेर के पक्ष में उल्लेख है कि—

1. योजना की प्राक्कलित राशि 344.014 लाख रूपये है।
2. विभागीय स्तर से कराये गये कार्य की राशि 57.77 लाख रूपये है।
3. योजना के अवशेष कार्य की राशि 286.243 लाख रूपये है।

जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के दिनांक 13.12.2019 के निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिका—2 में उल्लेख है कि सादपुर पूर्वी पंचायत भवन एवं दुर्गा स्थान के निकट पोखर की साफ—सफाई कार्य का निदेश लघु सिंचाई प्रमंडल, बेगुसराय को दिया गया है तथा वृक्षारोपण का कार्य का निदेश वन—प्रमंडल को दिया गया है।

आपके प्रासंगिक पत्र के साथ कराये गये कार्य का प्राक्कलन संलग्न नहीं है जिससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि तालाब की साफ—सफाई में कौन—कौन से कार्य किये गये हैं। कृपया इस संबंध में निम्नांकित सूचनायें भी उपलब्ध करायी जाय—

1. जिला पदाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन में योजना पोखर से संबंधित है जबकि आपके पत्र में योजना मोईन से। कृपया इसे स्पष्ट किया जाय कि ये योजनायें एक ही है।
2. निरीक्षण प्रतिवेदन में तालाब की साफ—सफाई कराने का उल्लेख है।
3. तालाब के साफ—सफाई में कौन—कौन से कार्य कराये गये हैं।
4. कराये गये कार्य की तकनीकी अनुमोदन प्राप्त है अथवा नहीं ?
5. सक्षम प्राधिकार से विभागीय स्तर से कार्य कराने की स्वीकृति प्राप्त है अथवा नहीं ?

6. योजना का Pre-Level अंकित है अथवा नहीं है ? तथा इसकी जांच मनरेगा के JE/AE से जांचित है अथवा नहीं ?
7. विभागीय स्तर से कराये गये कार्य हेतु निर्गत Muster Roll की भी जांच कर ली जाय तथा उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

यह भी स्पष्ट किया जाय कि साफ–सफाई के कार्य होने के पश्चात् पुनः 286.243 लाख रूपये की अधियाना क्यों की गयी।

विश्वासभाजन

26/8/2020

अधीक्षण अभियंता (मु0)
अनुश्रवण
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1628 (अ0) /पटना, दिनांक– 26/8/2020

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/8/2020

अधीक्षण अभियंता (मु0)
अनुश्रवण
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।